पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–09/2014 सा0प्र0 2568

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष।

पटना–15, दिनांक– 16-2-15

विषय :– **नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय परिपत्र संख्या–1646 दिनांक–30.01.2015 द्वारा नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को (पूर्व से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पदाधिकारी के मनोनयन के अतिरिक्त) सदस्य के रूप मनोनित करने का निर्णय लिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

इस क्रम में सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष से अनुरोध हैं कि नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में यथास्थिति अपने स्तर से निर्णय लेकर उनके विभाग या निदेशालय के मुख्यालय या क्षेत्रीय स्थापना में पदस्थापित अल्संख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित करते हुए विषयांकित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु. यथोक्त।

विश्वासभाजन
(राजेन्द्र राम) 16.2.2015
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/NAVLESH – HINDI LETEER

पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–09/2014 सा0प्र0.........

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।

पटना–15, दिनांक.........

विषय:– **नियुक्ति प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधामंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संदर्भ में सरकारी सेवा में तथा विभिन्न उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के मद्देनजर तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या–6725 दिनांक–22.05.1989 के द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया था :–

"नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय (यथा–मुस्लिम, ईसाई एवं सिक्ख) के किसी एक पदाधिकारी को यथा संभव सदस्य के रूप में मनोनित किया जाय।" परन्तु यह व्यवस्था वर्त्तमान में लागू नहीं है।

अतः पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु चयन समिति/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को (पूर्व से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पदाधिकारी के मनोनयन के अतिरिक्त) सदस्य के रूप में मनोनित किया जाय।

यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH D/DHARMRAJ SIR TIPNI

ज्ञापांकः–11/आ0नी0–I–09/2014 सा0प्र0 1646 पटना–15, दिनांक 30/1/15

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–09/2014 सा0प्र0 1646 पटना–15, दिनांक 30/1/15

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/ सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/ सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग /सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बिधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विश्वविद्यालय/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करें ताकि सरकारी सेवा में तथा विभिन्न लोक उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/DHARMRAJ SIR TIPNI